

*(Handwritten signature)*

दिनांक को संदे इजलास सुनाया गया है।

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016

दफतर हो।

होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाबा दाखिल जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फसल शुमार है। अतः प्रेकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की अग्रिम कार्यवाही की जाने का कोई आशित्य प्रतीत नहीं होता। मन्सूख हो गया है तो प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की आवंटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलखीन 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटपिटीशन सं. अलाटमैन्ट आदेश दिनांक 03/8/1979 माननीय उच्च विवादित भूमि से सम्बन्धित रेस्पान्डेन्टस के हक में किया गया किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रेकार सरकार ने उक्त भू-आवंटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवादित भूमि का आवंटि रेस्पान्डेन्टस को भू-आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा केष अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का हमने प्रेकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छया प्रति आदि रिकॉर्ड दर्तावेजात पेश किये।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में सम्बन्धित भू-आवंटन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण निर्णय के परिपेक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्तित आराजी से राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित पिटीशन नम्बर 3374/2005 व उन्वानी छॉट एवं अन्य बनाम उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय (नायब तहसीलदार कोटपुर्वी) ने उपस्थित होकर प्रश्नगत होकर तहसीलदार कोटपुर्वी की ओर से प्रेकार सरकार पत्रावली पेश कृपी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लैण्ड

53/11.16

विशेष विवरण

आजा विस्तृत रूप से

आजा या  
पत्रावली

53/11.16

बनाम  
H(d/c) @ नाम लिखना